



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्य प्रदेश शासन हेतु व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) के
रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक

18/2023/27/06/2023

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र

जमा करने की अंतिम तिथि 13.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र के उपलब्धित आवेदन-पत्र का विवरण

- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
- आवेदन पत्र के बाहर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।
- व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) के पदों हेतु आवेदन के बाहर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का ऐन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की वर्णना

- आयु की वर्णना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
- आयु की वर्णना हेतु वही जन्मतिथि आन्य की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अन्य की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क विवरण एवं निर्देश

- उपरोक्त परीक्षा के लिए अन्य की वर्णना शुल्क का भुगतान ब्रेंडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अन्य की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्ट है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिकारिक भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
- आयोग द्वारा अन्य की वर्णना शुल्क के संबंध में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिकारिक भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अन्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अन्य की वर्णना को अली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिकारिक भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. आवेदन-पत्र का विवरण

- अन्य की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त अन्य की वर्णना शुल्क के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अन्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अन्य की वर्णना को अली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिकारिक भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
- अन्य की वर्णना शुल्क के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अन्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अन्य की वर्णना को अली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिकारिक भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
- त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अन्य की वर्णना आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (दखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अन्य की वर्णना भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नाम / माता-पिता का नाम / लिंग / श्रेणी / वर्ग / जन्म तिथि परिवर्तन विषयक समस्त अन्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र द्यवाहर नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अन्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अन्य की वर्णना में उम्मीदवारी विरस्त की जाएगी।

1. शैक्षणिक अहंता -

अनिवार्य शैक्षणिक अहंता

- 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- 2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अहंता अथवा एम०फ०एच०
- 3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (स्वस्थ्यवृत्त) अथवा BAMS एवं MPH

2. रोज़गार पंजीयन -

- (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अन्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
- (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अन्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रायालय कार्यालय के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सेनिक - अन्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अहंता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण बर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई क्षमिका नहीं रहती है। अतः अन्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अन्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा विस्तार / विरुद्ध दायित्व

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि अर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अन्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अन्यर्थियों के अन्तिम संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अन्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित अर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अन्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर विजा कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अन्यवादेन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अन्यवादों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीक्षीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एक 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य आग 87% तथा प्रावधिक आग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य विस्तार

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाव संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अन्यर्थियों के शैक्षणिक अहंता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अन्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अन्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अन्यर्थियों के

समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अन्यर्थियों के दस्तावेजों की जालकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पश्चाचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न अर्तीं परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अन्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना बर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिजासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अन्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित अर्तीं विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अन्यर्थियों की औचित्यहीन जिजासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अन्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अन्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र अरते समय द्वारा गण E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अन्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जालकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार-पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा।



परिशिष्ट-१

४८७

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

हो पह का विवरण

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 01 | पद का नाम | : | व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) |
| | विभाग का नाम | : | आयुष विभाग |
| | श्रेणी | : | राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) |
| | पद स्थिति | : | अस्थायी |
| | वेतनमान | : | 56100-177500 |
| | पद के मुख्य कर्तव्य | : | अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य। |

वीना शैक्षणिक अर्हता : अधिवार्य शैक्षणिक अर्हता

- 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
 - 2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषज्ञता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम०पी०एच०
 - 3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राज्यीय पंजीकरण प्राप्त।

स्थानीय कानून : BAMS एवं MD (कल्पनात्मक) अथवा BAMS एवं MPH

३१४

- (1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
 - (2) यदि अङ्ग्रेजी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र / सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

- (1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि के बल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बड़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिदीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (3) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।
- (4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार

मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनहंता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा।

पांच

महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहंताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अहंता की जांच स्वयं कर लें और अहंता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अहं मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनहं पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ:

(क) आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अतः सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात

आयु संगणना तिथि 01.01.2024

आठ

अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ

चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अहंताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

| | |
|---|---|
| वर्ग / प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनुजनजाति, अनुजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई-डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या | साक्षात्कार के लिए अहंकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या |
| एक पद के लिए | 12 उम्मीदवारों तक |
| 2 और 3 पदों के लिए | 24 उम्मीदवारों तक |
| 4 से 6 पदों के लिए | 36 उम्मीदवारों तक |
| 7 से 9 पदों के लिए | 48 उम्मीदवारों तक |
| 10 तथा उससे अधिक पदों के लिए | 05 गुना उम्मीदवारों तक |

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णीक होंगे।

टीप:-

- (1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विजापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णीक नहीं होंगे।
- (2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद श्री यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विजापन के पुरिशिष्ट IV का अवलोकन करें।

व्यारह विजापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम के बावजूद आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट -II
- (ii) अहताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -III
- (iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट-IV


सचिव

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सेनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तथा

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुमति किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपस्थिकरण :-

- भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय क्षेणी तथा चतुर्थ क्षेणी में रिकितयों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो)

- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सर्वण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :

- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों से से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
- (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त क्षेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :

- (01) उपरोक्त परिशिष्ट - "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
- (02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- (03) जिस आरक्षित क्षेणी हेतु पद विजापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन)

- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

अहताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अहता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जॉच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अहता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीद्वारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जॉच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।

- ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
- ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
- मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वाच्छित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

| अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश | | |
|---|--|--|
| क्रमांक | अभिलेख | निर्देश |
| 1. | आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि | ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है। |
| 2. | चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन | ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को घब्बन होने पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। |
| 3. | रोज़गार पंजीयन | (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वाच्छित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी। |
| 4. | मध्यप्रदेश के मूल निवास / स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र | मध्यप्रदेश के मूल निवास / स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास / स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। |
| 5. | जाति प्रमाण-पत्र | ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है। |
| 6. | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र | मध्यप्रदेश के मूल निवास / स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा अर्थवा पूर्व के वित्तीय वर्ष / वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे। |
| 7. | भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र | ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए। |
| 8. | शासकीय सेवकों होने पर अनापत्ति प्रमाण- | जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैं सियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या |

| | | |
|----|------------------------------|--|
| | पत्र / विभाग को सूचना अभिलेख | दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अध्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रायाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अधिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अध्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अध्यर्थिता रद्द की जा सकेगी। |
| 9. | दिव्यांगता प्रमाण-पत्र | मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अध्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-४-१-सबह-मेडी-२, दिनांक ०९.०१.२००९ द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/३०२/२०२१/१०९८ दिनांक ०६.०५.२०२१ में उल्लेखनुसार दिनांक ०१.०६.२०२१ तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अध्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में ४०% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अध्यर्थियों को देश आरक्षण तथा अन्य कूट का लाभ देय होगा। |

टीप -

1. अध्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि १३.०९.२०२३ (शाम ६:०० बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि १३.०९.२०२३ (शाम ६:०० बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अध्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अध्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अध्यर्थियों द्वारा आयोग को ऐजेंसी गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अध्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अध्यावेदन दिला विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान ब्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।

2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।

3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।

4. टोपी हेट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।

5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श स्पूर्व में सफेद हो।

6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुनः अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक शलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, ऐणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें ब्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लिखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा अविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ)

ब्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई ब्रुटि होने पर दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक प्रति ब्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- ब्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही ब्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में ब्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित हैं अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के स्वप्न में भरे गए आवेदन को ब्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 ब्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के स्वप्न में भरे गए आवेदन को ब्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः ब्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम / माता-पिता का नाम / लिंग / श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज)

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समाजता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

| | |
|---|---|
| मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क़ीमी लेयर) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु | शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु |
| ₹ 250/- | ₹ 500/- |

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क के बावजूद विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन फ़ूटि से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन - 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत दिवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अहताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राप्तिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अन्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अन्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अन्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अन्यावेदन नान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अन्यर्थीयों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचित झटांक एफ-8-1-सड़ह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला विकास बोर्ड से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र झटांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र चुम्भीआईडी पोर्टल के <http://www.swayambambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अन्यर्थी कृपया द्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अन्यर्थीयों को देश आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्यर्थीयों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का रूप

मैं _____ आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता स्वस्थवृत्त (Lecturer swasthavritta) झटांक 18/2023 दिनांक 27/06/2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं _____पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/ _____जिला _____, मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं _____जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।
दिनांक :- _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

शेष नंबर _____

तदर्श रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अन्यर्थीयों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राप्तिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

- 5- जो अन्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैंसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के

संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्राणिन फार्म तथा अन्य वाइट अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

- (क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- (घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- (इ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हो या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
- (च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
- (ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृद्ध को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या
- (झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अलुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृद्ध द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हों; या
- (झ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्घटवहार,

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनहूं ठहरा सकेगा और/ या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
- (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंधा की जाएगी।
- (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनहृताएँ:- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-

- (क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
- (ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर,

परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति श्री उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हों जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9- यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (क) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
- (ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- (ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
- (घ) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।
- (च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।